बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं09/आ0–01–29/2018 /स्वा0/पटना,दिनांक /दिनांक सिविल सर्जन, रोहतास, सासाराम के पत्रांक 1111 दिनांक 11.05.2018 द्वारा डा0 बालमुकुंद सिंह, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, दिनारा, रोहतास, संप्रति प्रा0 स्वा0 केन्द्र, चेनारी, रोहतास के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया। डा0 सिंह के विरूद्ध श्रीमती मालती कुमारी, संविदा, ए0 एन0 एम0, स्वास्थ्य उपकेन्द्र, बैरीपुर, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, दिनारा द्वारा बलियां पंचायत के गॉवो में ग्राम स्वच्छता स्वास्थ्य अभियान में की गई अनियमितताओं पर जान बुझकर पर्दा डालने का आरोप है। जिसकी पुष्टि राज्य सूचना आयोग, बिहार पटना के वाद संख्या 89681/2012–13 में पारित आदेश से हुई है। विभागीय पत्रांक 764(9) दिनांक 18.7.2018 द्वारा डा0 बालमुकुंद सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गई। डा0 सिंह ने अपने स्पष्टीकरण में लिखा है कि घटना वर्ष 2009–10 में ग्राम पंचायत बलियां अंतर्गत गॉवो में नली–गली की साफ–सफाई एवं ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव से संबंधित है। यह घटना इनके कार्यकाल से लगभग छः वर्ष पहले की थी। सूचना के अधिकार अधिनियम अंतर्गत मांगी गई सूचना के संबंध में पत्र दिनांक 06.03.2016 को प्राप्त हुआ तथा दिनांक 09.03.2016 तक जॉच प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। पूछताछ के क्रम में लोगो द्वारा बताया गया कि श्रीमती मालती कुमारी द्वारा वर्ष 2009–10 में सफाई एवं ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया गया था। घटना छः वर्ष पुरानी थी। उस समय काम करने वाले कुछ मजदूर जॉच के क्रम में हाजिर नहीं हो पाए, परंतु कुछ मजदूरों द्वारा सफाई एवं छिड़काव करवाया जाना स्वीकार किया गया। राज्य सूचना आयोग के वाद सं0 89681/12–13 श्री नारायण गिरी बनाम प्रथम अपीलीय प्राधिकार–सह–सिविल सर्जन, रोहतास, सासाराम एवं अन्य मामले में पारित आदेश में बलियां पंचायत में कराए गए कार्यो में अनियमितता बरते जाने की बात को स्वीकार करते हुए जिला पदाधिकारी, रोहतास को दोषियों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया।

संपूर्ण मामले की सम्यक समीक्षोपरांत डा0 सिंह का स्पष्टीकरण मान्य प्रतीत नहीं होता है। डा0 सिंह को मामले की जॉच के क्रम में उपलब्ध अभिलेख को सूक्ष्मता से जॉच करानी चाहिए थी जो उनके द्वारा नही किया गया यद्यपि परोक्ष रूप से उनकी संलिप्तता स्पष्ट नहीं होती है, तथापित प्रशासनिक विफलता परिलक्षित होती है। इस हेतु डा0 बालमुकुंद सिंह, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, दिनारा, रोहतास संप्रति प्रा0 स्वा0 केन्द्र चेनारी रोहतास को 'चेतावनी' की सजा दी जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव,

ज्ञापांकः 729(9) /स्वा0, पटना , दिनांकः 26/7/2019

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले एवं ह०) बिहार पटना/उप सचिव वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें पटना प्रमंडल पटना/सिविल सर्जन रोहतास/सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

प्रतिलिपिः— माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— डा0 बालमुकुंद सिंह तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, दिनारा, रोहतास संप्रति प्रा0 स्वा0 केन्द्र चेनारी रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 9, एवं 10,17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

23/10/19.

सरकार के अवर सचिव